न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश, चम्पावत।
उपस्थितः श्रीमती कहकशा खान (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–89/2022
(कम्प्यूटर जनरेटिड फाइलिंग नं0–267/2022 तथा रजिस्ट्रेशन नं0–89/2022)

गोविन्द सिंह बिष्ट पुत्र श्री कुँवर सिंह बिष्ट,
निवासी ग्राम–बस्टिया, पोस्ट व थाना–टनकपुर,
जिला–चम्पावत।

.....अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तराखण्ड।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता–श्री पी0जे0 मनराल,
प्र0 जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)–
श्री आर0सी0 उप्रेती।

मुकदमा अपराध सं0–15/2018,
धारा– 8/20 स्वापक औषधि एवं
मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985,
थाना–बनबसा, जिला–चम्पावत।
(एस0एस0टी0 सं0–25/2018)

आदेश

अभियुक्त गोविन्द सिंह बिष्ट की ओर से थाना–बनबसा, जिला–चम्पावत में पंजीकृत अभियोग मुकदमा अपराध सं0–15/2018, अंतर्गत धारा–8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में जमानत चाहने हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र इन आधारों पर प्रस्तुत किया गया है कि–

मामले में अभियुक्त की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस0डी0 गड़कोटी जी दिनांक 10–08–2022 को स्वयं के उपचार के लिए दिल्ली जाने के कारण मामले में पैरवी नहीं कर सके और न ही उक्त बात की जानकारी अभियुक्त को हो पाई। जानकारी के अभाव में अभियुक्त अपने अधिवक्ता से सम्पर्क न कर पाने के कारण वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका, जिस कारण उसके विरुद्ध दिनांक 10–08–2022 को गैर जमानतीय वारण्ट जारी किया गया। न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने के उपरांत न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त ने जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित न होने में कोई चूक नहीं की है। अभियुक्त स्थानीय व्यक्ति है, जिसके भागने की कोई सम्भावना नहीं है। अतः मामले में अभियुक्त को निजी बंध–पत्र पर रिहा करने की प्रार्थना करते हुए कथन किया गया कि वह भविष्य में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहेगा और कोई चूक नहीं करेगा। जमानत प्रार्थना पत्र शपथ–पत्र से समर्थित है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र पर संबंधित थाना बनबसा से आख्या मंगाई गई

थी, परंतु आज आख्या प्राप्त नहीं हुई। चूँकि यह वाद इसी न्यायालय में विचाराधीन है, अतः जमानत प्रार्थना पत्र के क्रम में विशेष सत्र परीक्षण सं0–25/2018 राज्य बनाम त्रिलोक सिंह धामी आदि की पत्रावली तलब की गई।

3. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन व परिशीलन किया।

4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों पर ही बल देते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्त ने पूर्व में प्राप्त जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। पुनः जमानत दिये जाने पर उसके न्यायालय में उपस्थित न होने से वाद के विचारण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त विशेष सत्र परीक्षण सं0–25/2018 राज्य बनाम त्रिलोक सिंह धामी आदि में जमानत पर था। विचारण के दौरान वह अधिकांश तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हुआ व जिन दिन उपस्थित नहीं हो पाया, यदि गवाह उपस्थित हुआ, तो उसके अधिवक्ता महोदय ने हाजिरी माफी प्रस्तुत कर गवाह से जिरह की है। मामले में अब तक कुल '03' अभियोजन गवाह परीक्षित हो चुके हैं। दिनांक 10–08–2022 को पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण पत्रावली इंचार्ज महोदय के समक्ष पेश हुई। इंचार्ज महोदय ने अभियुक्त के उपस्थित न होने व कोई हाजिरी माफी की दरख्वास्त पेश न होने के आधार पर अभियुक्त के बंधपत्र राज्य के पक्ष में जब्त कर उसके विरुद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी करने का आदेश पारित कर दिया था, जिस पर पुलिस द्वारा अभियुक्त को दिनांक 20–09–2022 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, अतः अभियुक्त को हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। अभियुक्त ने न्यायालय में उपस्थित न होने का मुख्य कारण उसके वरिष्ठ अधिवक्ता का स्वयं का उपचार कराने दिल्ली जाने के कारण सम्पर्क न हो पाना बताया है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में भी है, अतः अभियुक्त की दिनांक 10–08–2022 पर अनुपस्थिति का पर्याप्त स्पष्टीकरण प्रतीत होता है व अभियुक्त का पूर्व व्यवहार

उसके आदतन न्यायालय में उपस्थित न होने की ओर इंगित नहीं करता। जमानतीगण की जमानतें अभी तक जब्त नहीं की गईं हैं। ऐसी स्थिति में, यह न्यायालय अभियुक्त को नवीन व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाना उचित पाता है, किन्तु जमानतीगण को नोटिस जारी हों कि वे बतायें कि क्या वे अभी भी अभियुक्त के जमानती रहना चाहते हैं अथवा नहीं ? तद्नुसार, अभियुक्त गोविन्द सिंह बिष्ट द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त गोविन्द सिंह बिष्ट को उसके द्वारा एक नवीन व्यक्तिगत बंधपत्र रु0 50,000/– का प्रस्तुत करने पर पूर्व जमानतीगणों की जमानतों पर दौराने विचारण जमानत पर रिहा किया जाये। जमानतीगण यदि जमानती न रहना चाहने का कथन करेंगे, तो तद्नुसार आदेश पारित किया जायेगा।

दिनांकः 21–09–2022

(कहकशा खान)
विशेष सत्र न्यायाधीश,
चम्पावत।